VYAS): (a) No, Sir.

(b) Qestion does not arise.

(c) There is already a Regional Production Centre for Southern Region at Bangalore.

राजस्थान में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

2352. **डा० अबरार अहमद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निकट भविष्य में, किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया था और इसके लिए आवंटित पूरी धनराशि का उपयोग किया गया था; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "नहीं" है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राजस्थान में इस समय लगाए जा रहे ट्रांसमीटरों में से निम्नलिखित ट्रांसमीटरों को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान चालू करने की आशा है, बशर्ते कि सिविल निर्माण कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएं और उपकरण उपलब्ध हो जाएं;

1. बूंदी में उच्च शक्ति (10 कि. वा.) टी.वी. ट्रांसमीटर ।

2. बाड़मेर में उच्च शक्ति (1 कि. वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर (अंतरिम व्यवस्था) ।

3. गंगापुर, श्रीडूंगरगढ़, सुजानगढ़, बल्लभनगर और करनपुर में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर ।

दूरदर्शन द्वारा टी.वी. ट्रांसमीटरों के लिए स्थानों का निर्णय लेते समय जिन मानदंडों का अनुसरण किया जाता है, उनमें कई बातें शामिल होती हैं जैसे कवर न हुए क्षेत्रों में कवरेज का प्रावधान; पहाड़ी, पिछड़े जनजातिय, सुदुरवर्ती, संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज का प्रावधान; कार्यक्रम निर्माण और लिंकेज सुविधाओं तथा अन्य आधार भूत सुविधाओं की उपलब्धता । सांस्कृतिक और महत्व के ऐतिहासिक स्थानों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) और (ग) राजस्थान के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके । इसके मुख्य कारण हैं— कुछ परियोजनाओं के लिए स्थलों का कब्जा लेने में देरी, देश में पहली बार 300 मीटर ऊंचे टी.वी. टावरों का निर्माण, कुछ ट्रांसमीटर स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं की कमी कुछ विशेष प्रकार से उपकरणों की सप्लाई में विलंब इत्यादि ।

समाचार पत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय ; पंजीकरण के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

2353. **डा० बापू कालदाते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार समाचारपत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकरण के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और वे कब से लम्बित हैं;

(ख) क्या रिश्वत लेने और पंजीकरण करने में विलम्ब के मामलों की खबरें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो आवेदकों को शीघ्र पंजीकरण प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा रखे गये रिकार्ड के अनुसार 1.6.1992 को 212 आवेदन लंबित पड़े थे ।

(ख) और (ग) ऐसी शिकायतों के मामलों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है । इसके अलावा भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीयन के लिए लंबित आवेदनों की साप्ताहिक आधार पर मानीटरिंग की जाती है ।

समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में भविष्यवाणियों का प्रकाशन

2354. **डा० बापू कालदाते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में हर सप्ताह भविष्यवाणियां प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी भविष्यवाणियों को पढ़ कर पाठकगण प्रायः भ्रमित होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी भविष्यवाणियों के प्रकाशन पर रोक लगाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : समाचारपत्र तथा पत्रिकाएं निजी क्षेत्र की होने के कारण इन पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता । प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने वाली नीति का अनुसरण करते हुए सरकार इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती । समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली में स्वायत्तता और संपादकीय स्वतंत्रता प्राप्त है । सरकार का इस प्रकार की भविष्यवाणियों के प्रकाशन पर कोई प्रतिबंध लगाने का विचार नहीं है ।

विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापनों पर हुआ व्यय

2355. **श्री मोहम्मद अफ़ज़ल उर्फ मीम अफ़ज़ल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए मंत्रालयों अथवा उनके विभागों द्वारा विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय को भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन समाचारपत्रों का भाषावार ब्यौरा क्या है जिनमें ये विज्ञापन प्रकाशित हुए और उक्त अवधि के दौरान मंत्रालयों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई और विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) मंत्रालयों अथवा उनके विभागों द्वारा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को अदा की गई राशि और निदेशालय द्वारा विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(रुपये लाख में)

1989-90	1990-91	1991-92
1064.50	2085.22	1422.56

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा उन समाचारपत्रों जिन्हें विज्ञापन जारी किए गये, का भाषावार ब्यौरा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में विज्ञापनों पर खर्च की गयी राशि सहित अलग से नहीं रखा जाता ।